

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बालोतरा

पीवासीन अधिकारी :श्री नरेश सोनी आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या 146 / 2022

प्राथी	बनाम	विप्राथी
गायत्री परिवार ट्रस्ट / गायत्री प्रज्ञा पीठ (शक्तिपीठ) छत्रियों का मोर्चा बालोतरा, तहसील पंचपदरा, जिला, बाडमेर,	राजस्थान सरकार जसिये तहसीलदार पंचपदरा	

राजस्थान जसिये अधिकृत प्रतिनिधि रमेश गुप्ता पुत्र श्री अनंतरामजी जाति अग्रवाल, निवासी अग्रवाल कोलानी, बालोतरा, तहसील पंचपदरा, जिला बाडमेर।

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान मू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति :-

1. श्री करणसिंह सोलंकी अधिवक्ता, प्राथी की ओर से उपस्थित।
2. तहसीलदार पंचपदरा विप्राथी उपस्थित।



आदेश



दिनांक- 06.09.2022


1. संक्षेप में आवेदन-पत्र के सुसंगत तथ्य इस प्रकार हैं, कि ग्राम बालोतरा खालसा गांव रहा है, जिसमें एक से अधिक सेन्टलमेंट प्रभाव में आये है, प्रथम सेन्टलमेंट संवत् 2012 मुताबिक वर्ष 1955 में प्रभाव में आया। प्रथम सेन्टलमेंट के अनुसार गायत्री परिवार ट्रस्ट / गायत्री प्रज्ञा पीठ


उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

शक्तिपीठ)बालोतरा की भूमि गत बंदोबस्त अनुसार गैर मुमकिन नदी नहीं थी तथा खातेदारी, बेंरा/आबादी/मंदिर भूमि के रूप में उपयोग ली जा रही थी तथा वर्तमान में भी गायत्री परिवार ट्रस्ट/गायत्री प्रज्ञा पीठ (शक्तिपीठ)बालोतरा की भूमि पर ट्रस्ट का व उक्त भूमि के एकपूर्वाधिकारी का अपने पूर्वजो के समय से कब्जा चला आ रहा है। कि प्रथम सेटलमेंट के अनुसार द्वितीय सेटलमेंट में भूमियों के रकबे व नक्शों में परिवर्तन किया गया। गायत्री परिवार ट्रस्ट/गायत्री प्रज्ञा पीठ (शक्तिपीठ)बालोतरा,खातेदारी/बेंरा/आबादी/मंदिर भूमि के भीतर स्थित है,उक्त मूखण्ड लूणी नदी की सीमा के भीतर नहीं है और न ही उक्त मूखण्ड के जरीयें प्रार्थी द्वारा लूणी नदी के खसरान के मू भाग पर अतिक्रमण किया हुआ है। इसके उपरांत भी सेटलमेंट विभाग के राजस्व अधिकारियों ने विवादित भूमि का गलत तरीके से एकतरफा सीमांकन करते हुए गायत्री परिवार ट्रस्ट/गायत्री प्रज्ञा पीठ (शक्तिपीठ) बालोतरा भूमि को गैर मुमकिन नदी में होना दर्शाते हुए राजस्व रेकर्ड में गलत तरमीन कर दी गई। अतःप्रार्थी द्वारा अपनी मालिकाना स्वामित्व की भूमि की नौका स्थिति अनुसार तरमीन दुरुस्ती करवाने हेतु आवेदन पेश किया है।

2.प्रार्थी का आवेदन पत्र दर्ज रजिस्टर किया। विप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया। विप्रार्थी की ओर से प्रार्थी के आवेदन-पत्र में वर्णित तथ्यों का खण्डन करते हुए अपना जवाब पेश कर प्रार्थी का आवेदन खारिज करने का निवेदन किया।

3.विवादित भूमि की नौका व रेकर्ड स्थिति की जांच कर रिपोर्ट पेश करने हेतु कमेटी अदालत द्वारा गठित कर तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट चाहे जाने पर गठित कमेटी ने अपनी जांच रिपोर्ट



देखी जाकर वाई गई।

अध्यक्ष की अन्तिम बहस सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता की बहस है,कि कस्बा बालोतरा पहले खालसा गांव थाजिसका पहला सेटलमेंट सम्वत् 2012 अर्थात् वर्ष 1955 में करवाया गया। प्रथम सेटलमेंट के पश्चात् सम्वत् 2024 अर्थात् वर्ष 1967 में पुनः सेटलमेंट हुआ और सम्वत् 2024 में जो सेटलमेंट विभाग द्वारा राजस्व नक्शा तैयार किया गया। वर्तमान गायत्री परिवार ट्रस्ट/गायत्री प्रज्ञा पीठ (शक्तिपीठ)बालोतरा की भूमि गत बंदोबस्त अनुसार गैर मुमकिन नदी

नहीं थी तथा खातेदारी/बेरा/आबादी/ मंदिर भूमि के रूप में उपयोग ली जा रही थी कि वर्तमान
 गायत्री परिवार ट्रस्ट/गायत्री प्रज्ञा पीठ (शक्तिपीठ)बालोतरा की भूमि पर ट्रस्ट का व उक्त
 भूमि के हकपूर्वाधिकारी का अपने पूर्वजों के समय से कब्जा चला आ रहा था और तामिरे भी
 बनी हुई थी । उक्त भुखण्ड पर विद्युत का कनेक्शन भी ले रखा है। पुनः बंटोबस्त सम्बन्ध 2024
 के समय तैयार किये गये नक्शे का गत बंटोबस्त के नक्शे से मिलान करने पर स्पष्ट है कि
 गायत्री परिवार ट्रस्ट/गायत्री प्रज्ञा पीठ (शक्तिपीठ)बालोतरा खातेदारी/बेरा/आबादी/मंदिर भूमि के
 भाग थे इस भूमि को सेटलमेन्ट के अधिकारियों द्वारा पुनः बंटोबस्त सम्बन्ध 2024 के समय
 खातेदारी/बेरा/आबादी/ मंदिर भूमि में दर्ज नहीं कर नक्शे में नदी का भाग दर्शा दिया गया और
 यही नहीं सेटलमेन्ट में पूर्व में जो गैर मुम्किन नदी की स्थिति बताई गई पुनः बंटोबस्त में गैर
 मुम्किन नदी की स्थिति को राजस्व नक्शे में मनमाने तरीके से हेरफेर कर दिया गया । प्रथम
 सेटलमेन्ट सम्बन्ध 2012 अर्थात् वर्ष 1955 के समय जो राजस्व नक्शा बनाया गया और दुबारा
 सेटलमेन्ट सम्बन्ध 2024 वर्ष 1967 के समय जो राजस्व नक्शा बनाया गया उनको देखने मात्र से
 स्पष्ट है कि वर्तमान गायत्री परिवार ट्रस्ट/गायत्री प्रज्ञा पीठ (शक्तिपीठ)बालोतरा की भूमि गत
 बंटोबस्त के समय खातेदारी/बेरा/आबादी/ मंदिर की भूमि थी उस भूमि को पुनः बंटोबस्त के
 राजस्व नक्शे में गलत तरीके से नदी की सूची में सम्मिलित कर दिया गया। जबकि वर्तमान
 वादग्रस्त भूमि गत बंटोबस्त के समय नदी के रूप में कतई राजस्व रेकार्ड में दर्ज नहीं थी। इस
 प्रकार स्पष्ट है कि राजस्व नक्शा बनाने में त्रुटि कारित हुई है। गायत्री परिवार ट्रस्ट/गायत्री
 प्रज्ञा पीठ (शक्तिपीठ)बालोतरा की भूमि जो कि खातेदारी/बेरा/आबादी/ मंदिर की भूमि थी उस भूमि
 को सेटलमेन्ट अधिकारियों द्वारा बिना सक्षम अधिकारी के आदेश एवं न्यायालय के आदेश के
 राजस्व नक्शे में इस प्रकार से हेरफेर नहीं किया जा सकता। उनके द्वारा राजस्व नक्शा
 में जो त्रुटि कारित हुई है वह दोनों नक्शों एवं खसरा मिलान से भी स्पष्ट है। राजस्व
 नक्शे में कतई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। गायत्री परिवार ट्रस्ट/गायत्री प्रज्ञा पीठ
 (शक्तिपीठ)बालोतरा का उक्त भूमि के हकपूर्वाधिकारी की जो पुरानी तामिरे बनी हुई थी वह
 खातेदारी/बेरा/ आबादी /मंदिर की भूमि थी और यह वर्तमान में आबादी में है जो भूमि की
 स्थिति मौके के अवलोकन से स्पष्ट है। ट्रस्ट की भूमि के आगे की तरफ उत्तर दिशा में नगर
 पालिका की डामर रोड है और उसके पश्चात दक्षिण में लूणी नदी की भूमि स्थित है । ऊपर
 वर्णित ट्रस्ट भूमि जो कि पहले खातेदारी/बेरा/आबादी/मंदिर भूमि थी व वर्तमान में आबादी भूमि



उपखण्ड अधिकारी
 (S.D.O.) बालोतरा

1. ...
 2. ...
 3. ...
 4. ...
 5. ...
 6. ...
 7. ...
 8. ...
 9. ...
 10. ...
 11. ...
 12. ...
 13. ...
 14. ...
 15. ...
 16. ...
 17. ...
 18. ...
 19. ...
 20. ...
 21. ...
 22. ...
 23. ...
 24. ...
 25. ...
 26. ...
 27. ...
 28. ...
 29. ...
 30. ...
 31. ...
 32. ...
 33. ...
 34. ...
 35. ...
 36. ...
 37. ...
 38. ...
 39. ...
 40. ...
 41. ...
 42. ...
 43. ...
 44. ...
 45. ...
 46. ...
 47. ...
 48. ...
 49. ...
 50. ...
 51. ...
 52. ...
 53. ...
 54. ...
 55. ...
 56. ...
 57. ...
 58. ...
 59. ...
 60. ...
 61. ...
 62. ...
 63. ...
 64. ...
 65. ...
 66. ...
 67. ...
 68. ...
 69. ...
 70. ...
 71. ...
 72. ...
 73. ...
 74. ...
 75. ...
 76. ...
 77. ...
 78. ...
 79. ...
 80. ...
 81. ...
 82. ...
 83. ...
 84. ...
 85. ...
 86. ...
 87. ...
 88. ...
 89. ...
 90. ...
 91. ...
 92. ...
 93. ...
 94. ...
 95. ...
 96. ...
 97. ...
 98. ...
 99. ...
 100. ...



(S.D.No.) 10/10/1957
 10/10/1957

अधिकार नहीं हैं। सेटलमेंट के दौरान सेटलमेंट अधिकारियों द्वारा किये गये अवैध कृत्य को सेटलमेंट समाप्त होने के पश्चात् दुरस्त किया जा सकता है। जिसका माननीय न्यायालय को क्षेत्राधिकार प्राप्त है। वर्तमान प्रार्थी गायत्री परिवार ट्रस्ट/गायत्री प्रज्ञा पीठ (शक्तिपीठ)बालोतरा व हनुमानाधिकारियों का कब्जा रहा व उनकी तामीरे बनी हुई थी। कि राजस्थान राज्य सरकार के अधिकारियों द्वारा बार बार प्रार्थी को उक्त भूखण्ड से बेदखल करने की धमकीयां देने पर प्रार्थी ने गत बंदोबस्त के राजस्व रेकॉर्ड की व मौजूदा राजस्व रेकॉर्ड व नक्शों की प्रमाणित प्रतियां प्राप्त कर उक्त वादग्रस्त भूमि के संबंध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में विचाराधीन जनहित याचिका क्रमांक 544/2020 के प्रकरण में माननीय न्यायालय के आदेशानुसार पक्षकार बनते हुए अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया था।जिसमें प्रार्थी ने नदी का नक्शा त्रुटिपूर्ण होना बताया था। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में जनहित याचिका क्रमांक 544/2020 के प्रकरण में दिनांक 11.04.2022 को आदेश पारित कर न्यायालय श्री के समक्ष इस आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया है।जिस हेतु यह प्रार्थना पत्र राजस्व रेकॉर्ड खतौनी व नक्शा लड़ा दुरस्ती हेतु अन्दर म्याद प्रस्तुत है। कि उक्त जर्नलित याचिका में अन्य प्रार्थीगणों द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर राज्य सरकार की ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया।जिसमें यह स्पष्ट उल्लेख है कि प्रार्थीगणों के भूखण्ड की भूमि को गलत रूप से नदी में सम्मिलित कर दी गई। राजस्व नक्शों का राजस्व विभाग व सेटलमेंट विभाग द्वारा सुपर इम्पोजिशन करवाया गया।जिसमें प्रार्थीगणों की वादग्रस्त भूमि पुराने सेटलमेंट में खातेदारी/आबादी भूमि का भाग होना स्वीकार किया गया है एवं उक्त प्रार्थना पत्र के बिन्दु संख्या 2 में वर्णित विवरण को सही होना स्वीकार किया है। सरकार के जवाब के संलग्न प्रस्तुत सुपर इम्पोजिशन नक्शे में प्रार्थी की वादग्रस्त भूमि प्रथम सेटलमेंट में नदी की नहीं होना 'स्पष्ट' है।पश्चातवर्ती सेटलमेंट में सेटलमेंट के अधिकारियों द्वारा बिना किसी विधिपूर्ण अधिकारिता/प्रक्रिया के प्रार्थी की भूमि को राजस्थान उच्च न्यायालय में प्रार्थीगणों के प्रार्थना पत्र का जो जवाब प्रस्तुत किया है। उसमें सरकार द्वारा प्रस्तुत पूर्ण रूप से स्वीकार किया है कि पूर्व में जब जरीब 132 थी तो खसरा नं 299 एवं उसके विभिन्न बट्टों का कुल रकबा 25.17 बीघा था । कालान्तर में विभाग द्वारा जरीब 165X165 की गई थी तो उक्त खसरा संख्या 299 मय बट्टा नंबर का रकबा 16.11 बीघा अंकित किया जाना था परन्तु खसरा बन्दोबस्त अनुसार 10.01 बीघा भूमि ही खातेदारी अंकित की गई शेष 06.10 बीघा




चपखण्ड अधिकारी
(S.O.) बालोतरा

भूमि सेटलमेन्ट के अधिकारियों द्वारा बिना किसी विधिपूर्ण अधिकारीता/प्रक्रिया के प्रार्थी की भूमि को राजस्व नक्शे में नदी का भाग बता दिया। पुराने व नये नक्शे में भी नदी की स्थिति में भिन्नता होना एवं पुराने नक्शे में नदी की स्थिति को नये सेटलमेन्ट के नक्शे में परिवर्तित करना स्वीकार किया है। जबकि मौके पर नदी की स्थिति में प्रार्थी की वादग्रस्त भूमि में कोई परिवर्तन नहीं हुआ एवं सेटलमेन्ट के अधिकारियों द्वारा बिना किसी विधिपूर्ण कार्यवाही के प्रार्थी की कब्जा सुदा व पट्टा सुदा भूमि को नदी दर्ज किया है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर गायत्री परिवार ट्रस्ट/गायत्री प्रज्ञा पीठ (शक्तिपीठ)बालोतरा के वर्तमान उक्त कब्जासुदा भूखण्ड के राजस्व नक्शे व खतौनी को गत बंदोबस्त के नक्शे अनुसार दुरुस्त करने व सेटलमेन्ट अधिकारियों द्वारा पुनः बंदोबस्त के दौरान राजस्व रेकार्ड में प्रार्थी के उक्त कब्जासुदा भूखण्ड के खसरा संख्या व भूमि की किस्म बाबत किये गये परिवर्तन को गत बंदोबस्त के रेकार्ड अनुसार तरमीम दुरुस्त की जावें।

6. इसके विपरीत विप्राथी की बहस है, कि प्रार्थी की ओर से आवेदन-पत्र गलत तथ्यों के आधार पर पेश किया है, जो निरस्त योग्य है। क्योंकि विवादित भूमि का प्रथम सेटलमेन्ट संवत् 1982 अर्थात् सन् 1925 में हुआ था, जहाँ आबादी नौके पर बसी हुई थी, जिसका रकबा राजस्व रेकार्ड में आबादी के रूप में दर्ज हुआ। द्वितीय सेटलमेन्ट वर्ष 1955 में किया गया तथा तृतीय सेटलमेन्ट वर्ष 1967 में हुआ है तत्समय सेटलमेन्ट अधिकारियों द्वारा नदी के बहाव क्षेत्र एवं पानी के भराव क्षेत्र में आने वाली भूमि को गै.मु.नदी दर्ज किया गया, जो वक्त सेटलमेन्ट के अधिकारियों के द्वारा जल पातायतन की भूमि सही दर्ज की गई है। अपनी बहस को जारी रखते हुए आगे कथन किया, कि सेटलमेन्ट अधिकारियों द्वारा नदी पातायतन पानी बहाव क्षेत्र व



इस क्षेत्र का वारीकी से सर्वे करवाते हुए आबादी बसावट के अनुसार आबादी दर्ज की गई है। इस क्षेत्र में पानी भराव क्षेत्र की भूमि को गैर मुमकिन नदी स्पष्ट रूप से दर्ज किया गया है। इस क्षेत्र पर प्रार्थी के भूखण्ड परिसर गैर मुमकिन नदी में आया हुआ है, जो कि गैर कानूनी है। प्रार्थी द्वारा गलत तथ्यों के आधार पर आवेदन पेश किया है, क्योंकि विवादित भूखण्ड प्रार्थीनी की खतौदारी भूमि में न होकर गैर मुमकिन नदी भूमि के अन्दर अवस्थित है। इस प्रकार प्रार्थी विवादित भूमि की रेकार्ड नक्शा दुरुस्ती करवाने का हकदार नहीं है। क्योंकि विवादित भूखण्ड


सचिव, राजस्व विभाग
(S.D.O.) बालोतरा

गैर मुमकिन नदी में अवैध रूप से बनाया हुआ है। अपनी बहस को जारी रखते हुए आगे और कथन किया कि राजस्व रेकॉर्ड नक्शा दुरुस्ती उसी में हो सकती है, जो दौराने कार्य करते समय कोई त्रुटि अथवा भूलवश गलती हुई हो। लेकिन हस्तगत आवेदन-पत्र में वर्णित भूमि का वक्त सेटलमेन्ट के अधिकारियों द्वारा समय-समय पर विस्तृत सर्वे करते हुए हितवद्ध पक्षकारान को समुचित सुनवाई का अवसर दिया जाकर मौका व रेकॉर्ड स्थिति अनुसार रेकॉर्ड में संधारण किया था। इस प्रकार प्रार्थी किसी प्रकार की राहत प्राप्त करने का हकदार नहीं है, क्योंकि प्रार्थी द्वारा गै.मु.नदी की भूमि पर अतिक्रमण करने के उपरांत इसकी आड में राजस्व अभिलेख व नक्शा लकटा में तस्मीम दुरुस्त करवाने की फिराक में है। जिसमें प्रार्थी सफलता प्राप्त करने का हकदार नहीं है क्योंकि प्रार्थी जिस मू-भाग पर काबिज है, गत सेटलमेन्ट अनुसार खसरा नम्बर 456 गैर मुमकिन नदी का है एवं वर्तमान सेटलमेन्ट अनुसार भी खसरा नम्बर 870 गैर मुमकिन नदी का है। इस प्रकार प्रार्थी का आवेदन-पत्र सारहीन व गलत तथ्यों के आधार पर होने के कारण खारिज फरमाया जावे।

7. हमने उभयपक्ष की बहस सुनी और बहस पर मनन किया एवं पत्रावली के संलग्न राजस्व रेकॉर्ड मय दस्तावेजात का गम्भीरता-पूर्वक अवलोकन किया। विधि के परिश्रेष्य में तथ्यों पर विवेचन किया। जिसमें पाया कि प्रार्थी की ओर से आवेदन-पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 आर. एल.आर.एक्ट के तहत पेश कर आवेदन-पत्र व अपनी बहस, में मुख्य इस्तदूआ चाही गई है, कि गायत्री परिवार ट्रस्ट/गायत्री प्रज्ञा पीठ (शक्तिपीठ)बालोतरा की भूमि पर ट्रस्ट का व उक्त गायत्री परिवार के हकपूर्वाधिकारी का अपने पूर्वजों के समय से कब्जा चला आ रहा है और तामिरे भी हुए है। प्रथम सेटलमेंट संवत 2012 अर्थात सन 1955 के समय गायत्री परिवार ट्रस्ट/गायत्री प्रज्ञा पीठ (शक्तिपीठ)बालोतरा खातेदारी/बेरा/आबादी/मंदिर भूमि के भाग



थे, पुनःबदोबस्त संवत 2024 अर्थात सन 1967 में सेटलमेंट अधिकारियों द्वारा पूर्व की स्थिति बदलकर मंदिर को नदी का भाग दर्शा दिया गया, लेकिन प्रार्थी की विवादित भूमि खातेदारी/बेरा/आबादी/मंदिर में होने के उपरांत भी राजस्व अधिकारियों द्वारा अपनी मनमर्जी तरीके से गलत सर्वे करते हुए गलत तरीके से प्रार्थी की स्वामित्व भूमि को गैर

जिलाधिकारी


मुमकिन नदी में रेकर्ड व तरमीम अंकन कर दी गई, जो आदिनांक तक गलत तरीके से किया गया रेकर्ड इन्द्राज चला आ रहा है, जिसे निरस्त करते हुए प्रार्थी की विवादित भूमि को खातेदारी/बेरा/आबादी/मंदिर भूमि की सीमाओं के भीतर होना मानकर गलतय अस्तिस्वय व नश्यों में तरमीम दुरुस्ती करवाना चाहते हैं। जबकि प्रार्थी जिस भू-भाग पर काबिज है, वह गलत सेटलमेंट अनुसार भी खसरा नम्बर 456 किसम गैर मुमकिन नदी का है, इससे स्पष्ट है कि विवादित भूमि/मुखण्ड गैर मुमकिन नदी के अन्दर अवस्थित है। जो एक प्रकार से अतिक्रमण ही माना जा सकता है। जबकि विवादित भूमि का प्रथम सेटलमेंट सन 1925 में हुआ था तथा द्वितीय सेटलमेंट भी सन 1955 में हुआ था तथा तृतीय सेटलमेंट वर्ष 1987 में हुआ था, तत्समय सेटलमेंट विभाग के अधिकारियों द्वारा विम्वृत सर्वे करते हुए मौका व रेकर्ड रिकॉर्ड अनुसार रेकर्ड संधारण किया था। जो कि विवादित भूमि/मुखण्ड खातेदारी में नहीं हूँकर गैर मुमकिन नदी का ही भाग है। इस प्रकार अदालत का यह मानना है, कि प्रार्थी विवादित भूमि की रेकर्ड नक्शा दुरुस्त करवाने का हकदार प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि यका सेटलमेंट में आदिनांक तक रेकर्ड में गैर मुमकिन नदी इन्द्राज है। प्रथम सेटलमेंट को हुए लगभग 95 वर्ष से अधिक समय व्यतीत हो चुका है और उसके बाद द्वितीय व तृतीय सेटलमेंट भी हो चुके हैं। इतने वर्षों तक प्रार्थी द्वारा विवादित भूमि के रेकर्ड दुरुस्ती संबंधी कोई कार्यवाही नहीं की गई, इस बिन्दु के संबंध में कोई सन्तोषप्रद जवाब/तर्क नहीं दिये गये। प्रार्थी की ओर से ऐसा कोई ठोस दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया, जिससे साबित होता हो कि विवादित भूमि गैर मुमकिन नदी में न होकर खातेदारी/बेरा/आबादी/मंदिर की सीमा के भीतर हो। प्रार्थी द्वारा केवलमात्र मौखिक कथन किये हैं, कि प्रार्थी की भूमि गैर मुमकिन नदी में नहीं होकर स्वामित्व खातेदारी/बेरा/आबादी/मंदिर की सीमाओं में आती है, यह तर्क मानने योग्य नहीं है। क्योंकि कथन से सहत प्रदान नहीं की जा सकती है, इसके लिए दस्तावेजी साक्ष्य सबूतों का होना आवश्यक है। जहाँ तक प्रार्थी वकील द्वारा तर्क दिये थे, कि संवत 2012 वर्ष 1955 के सेटलमेंट समय गायत्री परिवार ट्रस्ट/गायत्री प्रज्ञा पीठ (शक्तिपीठ) बालोतरा खातेदारी/बेरा /आबादी/मंदिर भूमि में दर्ज हुई थी, बाद में पुनः बंदोबस्त संवत 1955 वर्ष 1967 में मंदिर की



चपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

भूमि खातेदारी/बेरा/आबादी/मंदिर में दर्ज नहीं कर नक्शे में गैर मुमकिन नदी का भाग दर्शा दिया गया जो की रेकर्ड में गलत इन्दाज प्रविष्टि होने के कारण विरस्त कर पूर्व स्थिति बहाल की जावे। लेकिन इस संबंध में प्रार्थी की ओर से ऐसा कोई तीस वसतीवली साक्ष्य पेश नहीं किया जिसके अवलोकन से स्पष्ट होता हो कि दूबारा सेटलमेंट के समय तत्कालीन राजस्व अधिकारीयो द्वारा रेकर्ड दुरुस्ती करने में त्रुटि कर ली गई हो। प्रार्थी पक्ष की ओर से केवलमात्र भौखिक कथन ही किये गये है जो कि मानने योग्य नहीं है। क्योंकि अपने आवेदन पत्र को स्वीकार करवाने के लिए दरस्तावेजी साक्ष्य सबूत पेश किये जाने अति आवश्यक होते है। लेकिन ऐसा दरस्तावेजी साक्ष्य सबूत पेश करने में प्रार्थी पक्ष असाफल रहा है। ऐसी सूत्र में प्रार्थी का आवेदन स्वीकार करने योग्य नहीं है। इस प्रकार अदालत द्वारा समुचित विवेचन किये जाने के उपरांत इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि आवेदन पत्र में ऐसा कोई साक्ष्य तथ्य व दरस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध नहीं है जिससे स्पष्ट हो सके कि विवादित भूमि की तरगीम दुरुस्ती योग्य हो। ऐसी सूत्र में प्रार्थी का आवेदन पत्र सारहीन तथ्यों को आधार पर होने के कारण खारिज योग्य है।

8 लिहाजा प्रार्थी का आवेदन-पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 आर.एल.आर. एक्ट प्रकरण में साक्ष्य तथ्य निहित नहीं होने व सारहीन तथ्यों के आधार पर होने के कारण खारिज किया जाता है।



(नेशन सोनी)
उपखण्ड अधिकारी बालोतरा

आदेश आज दिनांक 06-09-2022 को लिखा जाकर सारे इजलासा सुनाया गया।




उपखण्ड अधिकारी बालोतरा
(S.D.O.) बालोतरा